Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 18923 Dated 11/9/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.6225 **Hectare** of forest landin ARADKA forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of AEN (T&C) R.S.V.P.N. Ltd. BEAWER for LINE UPGRADATION 400 KV GSS AJMER TO 220 KV GSS BHAIRUNDA falls within jurisdiction of ARADKA villages in Ajmer Tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 3.6225 **Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residning in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to 19 **annexure**.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not Applicable

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl;As above

(Arun Garg)
Chief Executive Officer
Zila parishad Ajmer

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर

06/9/17

(Gaurav Goyal)
District Collector
Ajmer

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर, अजमेर

Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 18923 Dated 11/9/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.6225 **Hectare** of forest landin ARADKA forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of AEN (T&C) R.S.V.P.N. Ltd. BEAWER for LINE UPGRADATION 400 KV GSS AJMER TO 220 KV GSS BHAIRUNDA falls within jurisdiction of ARADKA villages in Ajmer Tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 3.6225 **Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residning in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to 19 **annexure**.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not Applicable

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl;As above

(Arun Garg)
Chief Excutive Officer
Zila parishad Ajmer

10/8/17
(Gaurav Goyal)
District Collector
जिला कलक्टर, अजमेर
Ajmer

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

Date ....

बैठक वन अधिकार समिति ✓

दिनांक 22-6-17

ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 26-5-17 के अन्तर्गत आज दिनांक 22-6-17 को ग्राम आरड़ना की वन अधिकार समिति के गठन हेतु बैठक का आयोजन रखा गया, जिसकी कार्यवाही इस प्रकार है।

वन अधिकार समिति में निम्न सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

क्र. सं.	नाम सदस्य
01	कन्हैयालाल S/O श्री रामअवतार बैरवा
02	कमला W/O मुन्नीराम
03	गीता W/O श्री पीरु
04	शकीला W/O जमाल
05	मदीना W/O गुलशेर
06	लक्ष्मण S/O भैरु गुर्जर
07	गोरधन S/O पुरुषोत्तम शर्मा
08	शंकर सिंह S/O गंगा सिंह
09	नजीर मोहम्मद S/O हुसैन खां
10	भैरु S/O रामा

उक्त सदस्यों का चयन कर सभी के अनुमोदन जिसमें श्री कन्हैयालाल को वन अधिकार समिति अध्यक्ष एवं श्रीमति कमला को सचिव पद पर चुना गया।

1. श्री कन्हैयालाल बैरवा - अध्यक्ष
2. श्रीमति कमला - सचिव

अध्यक्ष व सचिव का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है। बैठक को धन्यवाद समापन किया गया।

1 कन्हैयालाल
2 कमला
3 गीता
4 शकीला
5 मदीना
6 लक्ष्मण
7 गोरधन शर्मा
8 शंकर सिंह
9 नजीर
10 भैरु

Anil Kumar
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

दिनांक 22-05-2017

आज दिनांक 22-05-17 को ग्राम डारडा की जन सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में श्री कन्हैया लाल बैरवा को अध्यक्ष एवं श्रीमति कमला को समिति का सचिव चुना गया। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अजमेर को समिति का गठन कर सूचना प्रेषित की जाती है।

कन्हैयालाल

Anilkar
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

वन अधिकार समिति की बैठक

आज दिनांक 03-08-17 को वन अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया बैठक की अध्यक्षता श्री कन्हैयालाल वैष्णव द्वारा की गई।

आज दिनांक 03-08-17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम" के तहत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में ग्राम अरडका ग्राम पंचायत अरडका में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति समुदाय उक्त अधिनियम नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता / प्रभावित नहीं होता है।

अतः इस संबंध में सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

कन्हैयालाल

गोरधनदास

गीता

कमला

सुशीला

सदीला

[illegible]

शंकर सिंह

लक्ष्मी

[illegible]

Anil [signature]

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

[illegible]

ग्राम सभा (ग्राम पंचायत [illegible])

दिनांक 26/05/2017

आज दिनांक 26/05/2017 को श्रीमान् कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी श्रीनगर के आदेश क्रमांक ब्लाक/सांख्यिकी/श्रीनगर/2017/[illegible] दिनांक 25/05/2017 की अनुपालना में ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत कार्यालय पर सवेरे 11.00 बजे सरपंच श्रीमान सम्पत सिंह राठौड़ के अध्यक्षता में रखा गया जिसमें ग्राम के सभी ग्रामवासीयों की उपस्थिति में मैं [illegible] ग्राम सभा शुरू की गयी जिनमें [illegible] [illegible] पर (विकास कार्यों) अधिकारी व ग्राम वासि मौजूद रहे —

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01	श्री सम्पत सिंह राठौड़	सरपंच	[signature] ग्राम पंचायत [illegible] पं.स. श्रीनगर (अजमेर)
2	[illegible] सिंह	LDC	[signature]
3	नन्दकिशोर शर्मा	पं. सहायक	नन्दकिशोर शर्मा
4	जितेन्द्र [illegible]	पं. सहायक	[signature]
5	शिवदत्त प्रसाद गौड़	पं. सहायक	शिवदत्त प्रसाद गौड़
6	[illegible] राज सिंह	[illegible]	[illegible] राज सिंह
7	[illegible]	वार्ड पंच	[illegible]
8	[illegible]	ग्रामवासी	[illegible]
9	अमरलाल	ग्रामवासी	अमरलाल
10	[illegible]	[illegible] सहायक	[illegible]
11			
12			

[signature]
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

प्रश्न 01 :- ब्यावर शहर में बिजली व्यव[illegible]
[illegible] को सामान्य कार्मिकों के पदस्थ [illegible]
[illegible] पर [illegible] के [illegible] का [illegible]
किया गया ।

प्रश्न 02 - ब्यावर शहर में आवासीय योजना,

के आवंटन में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वित [illegible] लोगों [illegible] को प्राथमिकता [illegible] को पदस्थ पूनाम [illegible] आवासीय में प्राप्त होने वाले लोगों को [illegible] [illegible] आदि। ब्यावर शहर में [illegible] के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन [illegible] रही है [illegible] पूनाम [illegible] । [illegible] शहर में [illegible] [illegible] को पदस्थ पूनाम [illegible] । [illegible] ब्यावर शहर में [illegible] लोगों के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आवासीय के [illegible] [illegible] [illegible] आवासीय पोर्टल द्वारा [illegible] के लिए प्रेरित किया गया ।

प्रश्न 03 - [illegible] ब्यावर [illegible] के [illegible] के हित [illegible] है [illegible] [illegible] के लिए [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible]

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

(1) [illegible] [illegible] के [illegible] से [illegible] के [illegible] [illegible] रोड [illegible] वाली [illegible]
(2) [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रोड [illegible] वाली [illegible]
(3) नाहरपुरा से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वाली [illegible]
(4) कुम्हारों की [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रोड [illegible] [illegible] रोड [illegible] वाली [illegible] [illegible]

प्र० सं० 4 आज दिनांक 26-05-2017 को सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अरड़का की वन अधिकार समिति का गठन किया जावे।

प्र० सं० 5 [illegible] के [illegible] 220 के वी डबल सर्किट अजमेर-[illegible] के ग्राम में [illegible] लाईन के निर्माण हेतु ग्राम सभा अरड़का से (वन अनुसूचित) जनजाति और अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) चाहा गया है। यह मार्ग [illegible] विभाग द्वारा करवाया जाता है तो इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः ग्राम सभा बैठक दिनांक 26-05-17 प्रस्ताव संख्या 5 के निर्णय अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम अरड़का के तहत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ०आर०ए० सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनुसूचित / जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित / जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु देय उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के उल्लेखित पात्रता नहीं रखता / प्रभावित नहीं होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुशंषा की जाती है।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

प्र० सं० 6 ग्राम पंचायत अरड़का के ग्राम अरड़का, मगरी, होलीमगरा, नागपुरा के सभी गली मोहल्लों की साफ-सफाई करने का सर्व सम्मति से प्रस्ताव लिया गया व कचरे को एकत्रित करके गांव से दूर अन्य स्थान पर डाला जावे जिससे स्वच्छ भारत अभियान की पूर्ण भागीदारी

मुकेश मंधवत

नारंगमल

रामरतन

गैरसा

गेरुलाल
दीपक

चोदू कुमार

मलजीराम

भवरलाल हलवाई

रोकनाथ

सतीश

राधेश्याम सैन

गोपू सैन

जगदीश सैन

मंगल सैनी

चान्दाराम

प्रदमग गुर्जर   सौरभ

भंवरलाल

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

[illegible] [illegible]

ग्यारसी देवी

कैरी देवी

[illegible] भवरलाल

[illegible] आसनाराम [illegible]

ओमकाराम

[illegible] मनजीसिंह [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

तेजपाल सिंह [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

ग्राम पंचायत अरड़का · बैंच श्रीनगर · जिला अजमेर · G.P. 11 · रा.प.रा. नियम 44 · (राज.) वर्ष 2017-18

क्र.सं.	उपाध्यक्ष/सरपंच के नाम 3	उपस्थिति/सदस्यों के नाम 4	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ 5	बैठक में उपस्थिति सदस्यों के हस्ताक्षर 6
			प्रस्ताव : 3 पत्रांक 3562-63 दिनांक 27-6-17 विषय अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन (वन अधिकार) की मान्यता) चाहा गया है। कोरम में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम अरड़का के खसरा न. 666 (बा) 15 में से 0.91 हैक्टर 19 में से 0.47 हैक्टर 77 में से 0.22 हैक्टर 76 में से 1.13 हैक्टर 23 में से 0.65 हैक्टर एवं खसरा नं. 61 काबिल काश्त, बीड़ तथा ऊसर के खसरा नं. 69 में से 0.54 (कुल 3.92 हैक्टर) है प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पत्र जारी नहीं हुआ है, व और न कोई लम्बित है, उक्त प्रस्ताव 220 KV डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के वी जी एस एस अजमेर से 220 के वी जी एस एस गेगल के मध्य जारी किया गया। (ग्राम सभा प्र. 9.5 दि. 26/5/17 कोरम ने प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया)	सरपंच ग्राम पंचायत अरड़का पं.स. श्रीनगर (अजमेर)
			प्रस्ताव स. 4 ग्राम होशियारा तहसील जिला अजमेर में चिकित्सा विभाग को उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु उक्त ग्राम के खसरा न. 31 किस्म बारानी-3 में से रकबा 0.32 का पूर्व में प्रस्ताव 3.29 भेजा गया परन्तु उक्त भूमि चरागाह होने के कारण इसकी क्षतिपूर्ति ख. न. 390 रकबा 1.07 किस्म बारानी 3 में से 0.32 को 452 कि खाता नं. 1 कि काबिल काश्त भूमि कि है अतः ख. न. 390/452 का रकबा	[signature]
			[illegible]	

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

पंचायत समिति अरड़का बैंच श्रीनगर जिला अजमेर (राज.) वर्ष 2017-18

बैठक का स्थान 2	अध्यक्ष/सरपंच के नाम 3	उपस्थिति/सदस्यों के नाम 4	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ 5	बैठक में उपस्थिति के हस्ताक्षर 6
अरड़का	श्री सम्पत सिंह राठौड़	श्री सम्पत सिंह राठौड़	आज दिनांक 5/7/2017 को ग्राम पंचायत अरड़का की पाक्षिक बैठक का आयोजन श्रीमान सरपंच महोदय सम्पत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में ग्रा.प. कार्यालय मे प्रात: 11:00 AM बजे रखा गया जिसमें निम्न कर्मचारी गण एवं वार्ड पंच गण उपस्थित हुए।	[signature] सरपंच ग्राम पंचायत अरड़का पं.स. श्रीनगर (अजमेर)
		श्रीमती आरती देवी	प्रस्ताव सं. 1 सचिव महोदय ने गत कार्यवाही विवरण पढ़कर कोरम में सुनाया जिसका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।	
		श्री मुकुल सिंह	प्रस्ताव सं. 2 :- ग्रा.प. बैठक दिनांक 27/6/17 को लिये गये प्रस्ताव सं 2 के अन्तर्गत मौका निरीक्षण एवं मौका जांच रिपोर्ट सदन	
		श्री इकबाल मो.	द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा सदन मे प्रस्तुत कि गई एवं	[signature]
		श्रीमती [illegible] सरोज देवी	नियम (157-1) के तहत अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आपत्तियां ग्राम पंचायत कोरम में नहीं आई तथा सदन ने निर्णय लिया	
		श्री रघुवीर सिंह	कि निम्न प्रार्थियों द्वारा पट्टा आवेदन किया गया तथा उनके खिलाफ संबंधित पड़ोसियों/माता/पिता/भाई/एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा ग्रा.प. में आपत्तियां दर्ज नहीं कराई है इसलिए इनके नियमानुसार शुल्क/आवेदन/पट्टा/शुल्क ग्रा.प. द्वारा प्राप्त कर नियम 157-1 के द्वारा आबादी मकानों/भूखण्डों का 325 गज तक के पट्टे जारी करने हेतु सदन ने अनुमति प्रदान की। —— प्रार्थियों का विवरण निम्नानुसार इस प्रकार है।	प्यारसी देवी सुरजपाल [illegible]
			क्र.सं. नाम/ माता/पिता/पति का नाम/ग्राम/व्यव.	
			(1) [illegible]	

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

कार्यालय ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़
सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M. : 9610559090

सत्यमेव जयते

प्रेषित श्रीमान विकास अधिकारी महो.
पंचायत समिति श्रीनगर
अजमेर

क्रमांक / ग्रा.पं. अ./09/2017 दिनांक 5/7/17

विषय - वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में

प्रसंग :- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्रांक 7836-37 दि 7/6/17 के क्रम में

महोदय
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र ग्रा.पं. अरड़का की बैठक दिनांक 5/7/17 कोरम के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु प्रस्तुत होने पर ग्रा.पं. के व.अ. के अनुसार 220 के वी डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के वी जी एस एस अजमेर से 220 KV जी एस एस भीरड़ा तक जाने वाली लाईन जो कि ग्रा.पं. अरड़का के खसरा नं. व खाता सं. 666/15 में से 1.13 हैक्टर, 0.91 हैक्टर, 19 में से 0.47 हैक्टर, 77 में से 0.22, 76 में से 1.13 हैक्टर, 23 में से 0.65 हैक्टर, खाता नं. 1 नाकाबिल काश्त अरड़ा तक अमर के ख.नं. 69 में से 0.54 (कुल 3.92 हैक्टर) है भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे पत्र जारी नही हुआ है, न और न कोई लम्बित है।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अरड़का की पाक्षिक बैठक दिनांक 5/7/17 के प्रस्ताव संख्या (03) की पालना मे पेश है।

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत अरड़का
पं.स. श्रीनगर (अजमेर)

प्रतिलिपि प्रेषित
(1) श्रीमान उपवन संरक्षक अधिकारी महोदय
जिला अजमेर

[signature]
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

कार्यालय ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़
सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M. : 9610559090

सत्यमेव जयते

प्रेषित ....
....
....

क्रमांक ग्रा.पं. अ./ए/2017

दिनांक 5/7/2…

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम ~~[illegible]~~ अरड़का के खसरा नं. खाता सं. 666/खसरा नं. 15 में से 0.91 हैक्टर, 19 में से 0.47 हैक्टर 77 में से 0.22 हैक्टर, 76 में से 1.13 हैक्टर, 23 में से 0.65 हैक्टर एवं खाता नं. 01 नाकाबिलकाश्त करड़ा तथा ऊपर के खसरा नं. 6 में से 0.54 हैक्टर (कुल 3.92) हैक्टर में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई कार्य नहीं किया जाता है, यदि उक्त भूमि पर गैर वन कार्य किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाण पत्र आज दिनांक 5/7/17 एवं पंचायत के प्रस्ताव सं. 03 पर लिये गये निर्णय के आधार पर जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
पं.स. श्रीनगर (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़
सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M. : 9610559090

सत्यमेव जयते

प्रेषित श्री ग्राम विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति श्रीनगर
अजमेर

क्रमांक ग्रा.प.अ./09 संशोधित 2017

दिनांक 03/08/20[illegible]

विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि ग्राम पंचायत अरड़का के पत्र क्रमांक :- ग्रा.प.अ./09/2017 दिनांक 5/7/2017 को संशोधित करते हुए कि ग्राम अरड़का के खसरा के खाता सं.(ख) 666 खसरा नं. 15 मे से 0.9738 हैक्टर, 19 मे से 0.5064 हैक्टर 77 मे से 0.2337 हैक्टर, 76 मे से 1.20[illegible] हैक्टर, 23 मे से 0.7010 हैक्टर मै (कुल भूमि 3.6225 हैक्टर) अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई कार्य नही किया जाता है। यदि उक्त भूमि पर गैर वन कार्य किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिलिपि प्रेषित

1) श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
जिला - अजमेर

सरपंच
ग्राम पंचायत अरड़का
पं.स. श्रीनगर [illegible]

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

कार्यालय ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़
सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M. : 9610559090

सत्यमेव जयते

प्रेषित ....

क्रमांक ग्रा.पं. अ./10 संशोधित 2017 दिनांक 03/08/20

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि ग्राम अरड़का के खसरा के खाता संख्या 566/ खसरा नं. 15 मे से 0.9738 हैक्टर 19 मे से 0.5064 हैक्टर 77 मे से 0.2337 हैक्टर, 76 मे से 1.2076 हैक्टर 23 मे से 0.70 हैक्टर (कुल भूमि 3.6225 हैक्टर) मे अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई कार्य नही किया जाता है, यदि उक्त भूमि पर गैरवन कार्य किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है, उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को दिनांक 05/07/17 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि ग्राम पंचायत कि बैठक के प्रस्ताव संख्या 03 के लिए संशोधित माना जाय।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

सरपंच
ग्राम पंचायत अरड़का
पं.स. श्रीनगर (अजमेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 08.08.2017 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर के कक्ष में दोपहर 2.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर क्रमांक कअ/राजस्व/ 17/8917 –20 दिनांक 23.06.2017 के क्रम में 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरून्दा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरड़का के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.7010 हैक्ट. खसरा नम्बर 76 रकबा 1.2076 हैक्ट. खसरा नम्बर 77 रकबा 0.2337 हैक्ट. खसरा नम्बर 19 रकबा 0.5064 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 0.9738 हैक्ट. (कुल 3. 6225 हैक्ट.) वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट चाहा गया है।

अतः प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने बावत अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की कियान्विति हेतु उपखण्ड अधिकारी अजमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

क्रम संख्या	नाम अधिकारीगण/सदस्य	हस्ताक्षर
1	श्री अंकित कुमार सिंह उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	[signature]
2	विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर श्री श्याम सिंह AEN. Srinagar	[signature]
3	तहसीलदार अजमेर	[signature]
4	क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर	[signature] R.O. Ajmer
5	श्री राजकुमार सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
6	श्री शंकर सिंह रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	[signature]
7	सीमा रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
8	सहायक अभियंता (टीएण्डसी) रा.रा.वि.प्र.नि. ब्यावर	[signature]
9		

आज इस बैठक में सर्वसम्मति से 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरून्दा के मध्य लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में कोई दावा /आपत्ति पेश नही हुए है और तहसील क्षेत्र अजमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य. परम्परागत वन निवासी क्षेत्र नही होने से उक्त कार्य बावत बैठक कार्यवाही विवरण एवं वांछित प्रमाण पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

[signature]
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील अजमेर के ग्राम अरडका 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरून्दा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरडका के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.7010 हैक्ट. खसरा नम्बर 76 रकबा 1.2076 हैक्ट. खसरा नम्बर 77 रकबा 0.2337 हैक्ट. खसरा नम्बर 19 रकबा 0.5064 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 0.9738 हैक्ट. (कुल 3.6225 हैक्ट.) निर्माण में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नही रखता/प्रभावित नही होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(अंकित कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रनांक / जिपअ / वन अधिकार / 16 / 						दिनांक

बैठक सूचना

श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर के पत्रांक 8917–20 दिनांक 23.06..2017 के तहत परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (टी.एण्ड सी) ब्यावर द्वारा ग्राम अरडका 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरूंदा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरडका के खसरा नं. 23 रकबा 0.7010 हैक्टे. खसरा नं. 76 रकबा 1.2076 हैक्टे. खसरा नं. 77 रकबा 0.2337 हैक्टे. खसरा नं. 19 रकबा 0.5064 हैक्टे. एवं खसरा नं. 15 रकबा 0.9738 हैक्टे. (कुल 3. 6225 हैक्टे.) वन भूमि के संबंध में F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत ~~Revised~~ F.R.A. CERTIFICATE जारी करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04–09–2017 को प्रातः 11.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आमन्त्रित की जा रही है । सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बैठक में पधारने का श्रम करावें ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर।

क्रमांक :– जिपअ / वन अधिकार / 2016 / 18885-92
दिनांक :– 30/8/17

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर ।
2. निजी सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर
3. उपखण्ड अधिकारी,अजमेर
4. उप वन संरक्षक,अजमेर।
5. तहीसलदार,अजमेर।
6. सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. ब्यावर।
7. श्री शिवराज भील, जिला परिषद सदस्य,अजमेर।
8. श्रीमती सरोज देवी, जिला परिषद सदस्य,अजमेर ।
9. श्रीमती डॉ0 अनिता बैरवा, जिला परिषद सदस्य,अजमेर।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL Ajmer

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर

DFO

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

बैठक उपस्थिति दिनांक 04.09.2017

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

क्र.स.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	श्री गौरव गोयल	जिला कलक्टर अजमेर	[signature]
2	श्री अरूण गर्ग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,अजमेर	[signature]
3	श्री संजय माथुर	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,अजमेर	[signature]
4	श्री अजय चित्तोडा	उप वन संरक्षक,अजमेर	[signature]
5	श्री अंकित के. सिंह	उपखण्ड अधिकारी,अजमेर	[signature]
6		तहसीलदार,अजमेर	[signature] 4/9/17
7	श्री हरीश चन्द	सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) रा.रा.विद्युत प्रसारण निगम लि0 ब्यावर जिला अजमेर	[signature]
8	श्री शिवराज भील	जिला परिषद,सदस्य	[signature]
9	श्रीमती सरोज देवी	जिला परिषद,सदस्य	सरोज मेघवाल

[signature]
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

कार्यालय जिला परिषद,अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2017/ 18922 दिनांक: 11/9/2017

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.09.2017 का कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.09.2017 को सभागार जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी । बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :-

श्रीमान कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्रांक कअ/राजस्व/2017/8917-20 दिनांक 23.06.2017 की अनुपालना मे सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. ब्यावर से प्राप्त प्रस्ताव जो कि ग्राम अरडका 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरूंदा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरडका के खसरा नं. 23 रकबा 0.7010 हैक्टे. खसरा नं. 76 रकबा 1.2076 हैक्टे. खसरा नं. 77 रकबा 0.2337 हैक्टे. खसरा नं. 19 रकबा 0.5064 हैक्टे. एवं खसरा नं. 15 रकबा 0.9738 हैक्टे. (कुल 3. 6225 हैक्टे.) वन भूमि के संबंध में F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. ब्यावर द्वारा चाहा गया एफ0आर0ऐ0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

10/9/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,अजमेर	उप वन संरक्षक अजमेर	जिला कलक्टर अजमेर
तहसीलदार अजमेर	उपखण्ड अधिकारी अजमेर	सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि.लि.ब्यावर

सदस्यगण :

सरोज मेहवाल

(A. K. ...)
Executive Engineer (...)
RVPNL. Ajmer

Annexure – I

FORM – I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(Rev)/2017/ 4756 Date : 3/8/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 –FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.12 hectares (220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda- Line)** of forest land proposed to be diverted in favour **Rajasthan** Rajya Vidyut prasaran Nigam Limited for **Constructing 220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda Line** (purpose for diversion of forest land) in **Nagaur** district falls within jurisdiction of **Parbatsar** tehsils.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.12 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;

c. The proposals does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Enclosure District Level Meting Proceeding & Block Level Meting Proceeding

(Kumar Pal Gautam)
District Collector,
Nagaur

जिला कलक्टर, नागौर

Annexure – I

FORM – I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(Rev)/2017/ 4756 Date : 3/8/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 –FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.12 hectares (220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda- Line)** of forest land proposed to be diverted in favour **Rajasthan** Rajya Vidyut prasaran Nigam Limited for **Constructing 220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda Line** (purpose for diversion of forest land) in **Nagaur** district falls within jurisdiction of **Parbatsar** tehsils.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.12 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;

c. The proposals does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Enclosure District Level Meting Proceeding & Block Level Meting Proceeding

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

(Kumar Pal Gautam)
District Collector,
जिला कलक्टर, नागौर
Nagaur

दिनांक 18-05-2017   समय 11.00 Am

- ग्राम सभा :- भामाशाह योज

आज दिनांक 18-05-2017 को ग्रा०पं० के अटल सेवा केन्द्र पर श्रीमान विकास अधिकारी महोदया पं०स० पन्नातसर के आदेश क्रमांक 307 दिनांक 10-05-2017 की अनुपालना में भामाशाह योजना की प्रशासनिक रिपोर्ट व प्राप्त लाभों का अवलोकन किया हेतु ग्राम सभा का आयोजन श्रीमती राजेश्वरी देवी सरपंच महोदया की अध्यक्षता में किया जाना है।

ग्राम सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण कर्मचारीगण का नाम मय पद।

क्र	नाम मय पद	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती राजेश्वरी देवी अध्यक्षा (सरपंच)		राजेश्वरी
2.	भंवरलाल चौहान पटवारी	8094817800	[illegible]
3.	[illegible] V.L.W.	9461638010	[illegible]
4.	अजय सिंह ग्राम सहायक		
5	पन्नाराम वार्ड पंच	9929857519	[illegible]
6	खुम्माराम वार्ड पंच		पन्नाराम वार्ड पं.
7	सुनिता वार्ड पंच		
	निर्मला देवी वार्ड पंच	7568612602	सुनिता
	सरजू देवी वार्ड पंच	9829667993	निर्मला
	प्रेमाराम उपसरपंच	9166832847	सरजू
		1742714777	प्रेमाराम

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer
RVPNL

प्रशासनिक रिपोर्ट हेतु

प्रस्ताव सं० 1

क्र सं	नाम मय पद	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर	विशेष
	सुनिता शर्मा A.W.W. कालेड़ा	9649666850	सुनिता शर्मा	
	विनोद कंवर A.W.W. रुपाडियास	9799893229	विनोदकंवर	
	मन्जू वैष्णव (साथिन)	9649464034	मन्जू वैष्णव	
	सुशीला वैष्णव आशा	8107384616	सुशीला वैष्णव	
	प्रकाश मालाकार सा० प्रेरक	9001570724	प्रकाश मालाकार	

(A. K. ...)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

प्रस्ताव सं० 1

आज दिनांक 18-5-2017 को ग्राम पंचायत कार्यालय में विकास अधिकारी के आदेशानुसार भामाशाह योजना [illegible] के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हस्तान्तरित किये गये लाभों का जो अवधि 01-11-2016 से 30-04-2017 तक सामाजिक परीक्षा

योजना (1) राशन - चीनी (किग्रा)

(2) राशन - केरोसिन (ली.)

(3) राशन - गेहूँ (किग्रा)

(4) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (रु.)

(5) राज श्री योजना (रु.)

(6) B.P.L फैमीली (रु.)

(7) पेंशन (रु.)

(8) नरेगा (रु.)

(9) शुभ लक्ष्मी योजना (रु.)

(10) जननी सुरक्षा योजना (रु.)

ग्राम सभा में समस्त उपस्थित ग्रामवासियों को पढ़कर सुनाई गई। योजनाओं के सम्पूर्ण लाभ के बारे में बताया गया। और समझाया गया।

प्रस्ताव संख्या :- 2 आयोजित ग्राम सभा में वर्ष 2017-18 (01-11-2016 - 30-5-2017) के सामाजिक अंकेक्षण के लिए भामाशाह के माध्यम से जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान किये गये लाभों का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया व सुनाया गया जिसके सम्बन्ध में उपस्थित ग्रामवासियों से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

पृ०क्र० 3

सहायक अभियन्ता ब्यावर के पत्रांक 32 दिनांक 17.4.2017 के क्रम में 220 के.वी. डबल सर्किट अजमेर में कड़ी लाईन के निर्माण हेतु ग्राम सभा खुड़ियास से अनुसूचित/जनजाति और अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारी की मान्यता) चाहा गया है।

यह कार्य विभाग द्वारा करवाया जाता है तो इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नही है।

अतः ग्राम सभा बैठक दिनांक 28-05-2017 प्रस्ताव सं. 03 के निर्णय अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम खुड़ियास के तहत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनुसूचित/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित/जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी व्यक्ति/समुदाय उक्त अधि-नियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकारी हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है। अतः इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंषा की जाती है।

Anil [signature]
(A.K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

हस्ताक्षर

पद्मराम चौधरी

ओ.नि पीवलराज

हरकचन्द राम

पाडुराम

कुड़ीवार्तपिंड

दुर्गा राम
भवर कवर

मोहन बिरवान

अनि दुलची

Sukhram

कैलाशनारायण

ओ.नि निवावणा

Anil

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

Amit Kumar

हस्ताक्षर

कालू सिंह K 1127 8185

7665955595

गोविन्द प्रसाद शर्मा

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

हस्ताक्षर :-

मूलकी

सीता

सरजू

मोहनी

मोहम्मद आसीन

पन्नाराम

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

हस्ताक्षर :-

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

भवर लाल

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

हस्ताक्षर :-

किशनाराम भंवरराम

मोहम्मद आमीन

ग्यारसी देवी

पप्पूराम चौधरी

बाबूराम गेलकु

प्रकाश सूरजा राधेश्याम

ओमप्रकाश मेहरा

भंवरलाल

धारूराम

रतनसिंह किशनाराम

पन्नाराम वार्ड न. 5

नैजाराम
कोमल

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

बैठक वन अधिकार समिति

ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 18-5-17 के अन्तर्गत आज दिनांक 8-6-17 को ग्राम खुडियास की वन अधिकार समिति के गठन हेतु बैठक का आयोजन रखा गया जिसकी कार्यवाही इस प्रकार है।

वन अधिकार समिति मे निम्न सदस्यो का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

क्र. सं.	नाम सदस्य
01	सज्जन सिंह S/o श्री सवाई सिंह
02	गीता W/o रामलाल
03	कमला W/o मुगनाराम
04	आशा W/o सोहनराम
05	चम्पा W/o खुदडराम
06	रामपाल S/o रामदीन
07	रामचन्द्र S/o लाडूराम
08	उमराव सिंह S/o मोडसिंह
09	हनुमान सिंह S/o कल्याण सिंह
10	मोहन S/o भागीरथ

उक्त सदस्यो का चयन कर सभी ने अनुमोदन जिसमे श्री सज्जन सिंह को वन अधिकार समिति अध्यक्ष एवं श्रीमति गीता को सचिव पद पर चुना गया।

01 श्री सज्जन सिंह — अध्यक्ष
02 श्रीमति गीता — सचिव

Anilkumar
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

अध्यक्ष व सचिव का सर्व सम्मति से चुनाव किया गया है। बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

सज्जन सिंह

गीता

कमला

आशा

चम्पा

रामपाल

रामचन्द्र

हनुमान सिंह

उमराव सिंह

मोहन

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

दिनांक 08-06-17

आज दिनांक 08-06-17 को ग्राम बुधिमाक की वन अधिकार समिति का गठन किया गया। इस समिति मे श्री सज्जन सिंह को अध्यक्ष एवं श्रीमति गीता को समिति का सचिव चुना गया है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी परबतसर को समिति का गठन कर सूचना प्रेषित की जाती है।

सज्जन सिंह

Anil Kumar
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

वन अधिकार समिति की बैठक

आज दिनांक 28-6-17 को वन अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री सज्जन सिंह द्वारा की गयी।

आज दिनांक 28-6-17 को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम" के तहत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में ग्राम खुडियास, ग्राम पंचायत कालेटड़ा में अनुसूचित / अनुसूचित जन जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का व्यक्ति समुदाय उक्त अधिनियम नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रका की वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता / प्रभावित नहीं होता है।

अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

सज्जन सिंह

गीता

आशा

चम्पा

रामचन्द्र

हनुमान सिंह

कमला

रामपाल

उमराव सिंह

मोहन

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

रा.प.रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति ......कालेड़ा...... बैंच .... जिला ......नागौर...... (राज.) वर्ष 20.

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उप[स्थित] सदस्यों के ह[स्ताक्षर]
1	2	3	4	5	6
03/07/17	अटल सेवा केन्द्र	श्रीमती राजेश्वरी देवी (सरपंच)	राजेश्वरी	आज दिनांक 03-07-2017 को ग्रा०प० कालेड़ा के अटल सेवा केन्द्र पर पंचायत की पाक्षिक बैठक का आयोजन सरपंच महोदया की अध्यक्षता में किया गया	राजेश्व[री]
			(1) दिनेश कुमार ग्राम सेवक	सर्वप्रथम सचिव द्वारा गत बैठक कार्यवाही को सदन में पढ़कर सुनाया व समस्त आय-व्यय लेखों की पुष्टि व अनुमोदन करवाया	
			(2) पेमाराम (उपसरपंच)		पेमारा[म]
			(3) सुखाराम (वार्ड पंच)	प्रस्ताव सं० 1 ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्रा०प० कालेड़ा ने श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर के	
			(4) पन्नाराम (वार्ड पंच)	पत्र क्रमांक एफ 12 ( ) राजस्व/2017/3536-37 दिनांक 6-6-2017 को ग्रा०प० की बैठक में पढ़कर सुनाया गया।	पन्नाराम का
			(5) अजयसिंह	पत्रांक 3536-37 दिनांक 6-6-2017 विषय अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)	अज[य]

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

बाद विचार विमर्श के सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम खुडियास के खसरा नं० 425, 448 में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई कार्य नहीं किया जाता है यदि उक्त भूमि पर और वन कार्य किया जाता है तो ग्रा०पं० को कोई आपत्ति नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति सर्व सम्मति से दी गई

प्रस्ताव सर्व सम्मति से ~~दी गई~~ पारित किया गया।

नोट:- → उक्त प्रस्ताव 220 केवी डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस अंकुला के मध्य जारी किया गया।

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत नालेटड़ा
पं.स. परबतसर(नागौर)

[signature]
[illegible stamp]

[signature]
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

कार्यालय ग्राम पंचायत कालेटड़ा पं.स. परबतसर (नागौर)

श्रीमती राजेश्वरी
सरपंच-ग्राम पंचायत, कालेटड़ा
मो.: 7023578733

क्रमांक : ग्रा०प० का०/ 2017/15

दिनांक : 03/07/2017

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम खुडियास के खसरा नं० 425, 448 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई कार्य नहीं किया जाता है यदि उक्त भूमि पर गैर वन कार्य किया जाता है तो ग्रा०प० को कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाण पत्र आज दिनांक 03-07-20 के ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं० 01 पर लिये गये निर्णय के आधार पर जारी किया गया।

Photo Copy Attested

ग्राम सेवक / पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कालेटडा
पं.स. परबतसर (नागौर)

ग्राम सेवक / पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कालेटडा
पं.स. परबतसर (नागौर)

राजेश्वरी
सरपंच
ग्राम पंचायत कालेटड़ा
पं.स. परबतसर (नागौर)

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

कार्यालय ग्राम पंचायत कालेटड़ा पं.स. परबतसर (नागौर)

श्रीमती राजेश्वरी
सरपंच-ग्राम पंचायत, कालेटड़ा
मो.: 7023578733

क्रमांक : ग्रा० पं० का० / 2017/17 दिनांक : 03/07/2017

सेवा मे,

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय
पं० स० परबतसर
(नागौर)

विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम मे.

प्रसंग :- पत्र क्रमांक 610 दिनांक 14-06-2017 के क्रम मे

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र ग्रा०पं० कालेटड़ा की बैठक दिनांक 03-07-2017 को कोरम के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु प्रस्तुत होने पर ग्रा०पं० के प्र० सं० 1 के अनुसार 220 केवी डबल सर्किट लाइन के निर्माण हेतु 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस पुष्कर तक जाने वाली लाईन जो कि ग्राम खुनखुणा की खसरा सं० 448 मे से 0.80 हैक्टेयर खसरा सं० 425 मे से 0.32 हैक्ट. है कुल हैक्ट. 1.12 है भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बंध में इन सम्बंध में कोई आपत्ति नही है। वन अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है वर्णित भूमि में कोई कब्जा न ही कोई लम्बित है
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्रा०पं० कालेटड़ा कि पाक्षिक बैठक दिनांक 03-07-2017 के प्रस्ताव सं० 1 की पालना मे जारी है

photo copy attested.

राजेश्वरी
सरपंच
ग्राम पंचायत कालेटड़ा
पं.स. परबतसर (नागौर)

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

ग्राम सेवक / पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कालेटडा
पं.स. परबतसर (नागौर)

ग्राम सेवक / पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कालेटडा
पं.स. परबतसर (नागौर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज0

क्रमांक / विविध / 2017 / 203-207 दिनांक 27.07.2017

प्रेषिति –
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर।
2. क्षेत्रिय वन अधिकारी, परबतसर।
3. तहसीलदार, परबतसर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत कालेटड़ा
5. सचिव ग्राम पंचायत कालेटड़ा

विषय – सहायक अभियन्ता, राजस्थान विधुत प्रसारण निमग लि. ब्यावर को एफ.आर.ए. जारी करने के संबंध में बैठक की सूचना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 220 के.वी.डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के.वी. जीएसएस अजमेर से 220 के.वी. जीएसएस भैरून्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास में से वन भूमि में से लाईन जाना प्रस्तावित है जिससे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परबतसर में दिनांक 31.07.2017 को दोपहर 12 बजें बैठक आयोजित की गई है। अतः आप नियम तिथि, स्थान व समय पर आवश्यक तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर को आदेशित किया जाता है कि संबंधित पंचायत समिति सदस्य को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला नागौर, राज0

प्रमाण--पत्र

दिनांक 31.07.2017 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार संबंधी बैठक की अनुशंषा एवं ग्राम पंचायत कालेटड़ा की बैठक दिनांक 03.07.2017 की अनुशंषा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि 200 के.वी.डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के.वी. जीएसएस अजमेर से 220 के.वी.जीएसएस भैरून्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास की वन पट्टी के तहत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला नागौर, राज0

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 31.07.2017 को उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के कक्ष में दोपहर 12:00 बजें श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर के पत्र क्रमांकःएफ.12( )राजस्व/2017 /3536–37 दिनांक 06.06.2017 के क्रम में 200 के.वी.डबल सर्किट लाईन के निर्माणं हेतु 400 के.वी.जीएसएस अजमेर से 220 के.वी.जीएसएस भैरून्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास में वन पट्टी के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

क्रम संख्या	नाम अधिकारीगण / सदस्य	हस्ताक्षर
1	श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत उपखण्ड अधिकारी, परबतसर	
2	श्रीमती रेखा गौड़ विकास अधिकारी, पं0स0परबतसर	
3	श्री गुरूप्रसाद तंवर तहसीलदार परबतसर प्रतिनिधि	
4	श्री क्षेत्रीय वन अधिकारी, परबतसर	
5	श्री पंचायत समिति, सदस्य परबतसर	राजेश्वरी
6	श्रीमती राजेश्वरी सरपंच ग्राम पंचायत कालेटड़ा	
7	श्री दिनेश कुमार सचिव, ग्राम पंचायत कालेटड़ा	
8	श्री मुकेश नाथ (JEN) O/o AEN (T&C) RVPN BEAWAR	Mukesh

आज इस बैठक में उपस्थित क्षेत्रिय वन अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत एवं उपस्थित सदस्यों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र नहीं होने से प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत कोई दावा/आपत्ति नहीं है। अतः सर्वसम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण व वांछित प्रमाण पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला नागौर, राज0

क्रमांकः राजस्व/2017/209 दिनांक 31.07.2017

प्रेषिति – श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
नागौर।

विषय – अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंग – श्रीमान् का पत्रांक::एफ.12( )राजस्व/2017 /3536–37 दिनांक 06.06.17 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि 200 के.वी. डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के.वी.जीएसएस अजमेर से 220 के.वी.जीएसएस भैरून्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास में वन पट्टी के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के संबंध में दिनांक 31.07.2017 को बैठक आयोजित की गई। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है। उक्त वन क्षेत्र के संबंध में एफ.आर. ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से वांछित प्रमाण पत्र इस पत्र के संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL. Ajmer